ISSN 2349-638x
Impact Factor 5.707

ICSSR, New Delhi Sponsored

National Level Seminar in Interdisciplinary subject

FINANCIAL LITERACY AND DIGITAL PAYMENT SYSTEM IN INDIA

Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Borgaon (Kale), Tq.& Dist. Latur

Affiliated to Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad

VASANTRAO KALE MAHAVIDYALAYA,

DHOKI, TQ. & DIST. OSMANABAD. (MS)

Saturday, 28th December 2019

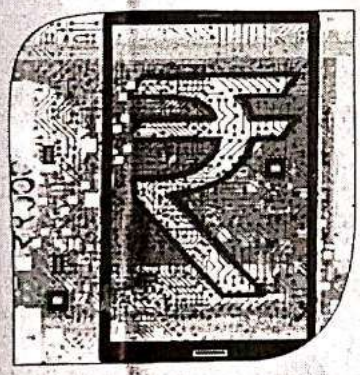

Pri. Dr. Haridas Fere
Chief Editor

Dr. Balasaheb Maind
Editor

Organized By

Department of Economics

Vasantrao Kale Mahavidyalaya, Dhoki

Tq. & Dist. Osmanabad (MS).

Vol. II

Scanned with OKEN Scanner

136.	प्रा. रविंद्र देविदास मुळजे	डिजिटल इंडिया आणि निश्चलनीकरण अर्थव्यवस्था : एक अभ्यास	390
137.	लक्ष्मण बलभिम गित्ते	डिजीटल पेमेंट पध्दतीचा सामाजिक जीवनावर होणारा परिणाम	392
138.	प्रा.डॉ. शैलजा भारतराव बरुरे	भारतातील रोकड विरहित अर्थव्यवस्था : आव्हाने आणि उपाय	394
139.	प्रा.बालाजी तुळशीराम घुटे	अंकात्मक देणी पध्दत : फायदे व अडचणी	398
140.	प्रा.अमोल अरूण पगार	रोकड विरहीत व्यवहार व भारतीय अंर्थव्यवस्था	402
141.	सागर शरद कुलकर्णी	भारतीय अर्थव्यवस्थेतील रोखरहित व्यवहारांची उपयुक्तता -एक अभ्यास	404
142.	प्रा.डॉ.बा.आ. साबळे	भारतातील बँकींग क्षेत्रातील डिजीटल आर्थिक व्यवहार पध्दतीचा अभ्यास	407
143.	प्रा. जे. बी. यादव	आर्थिक साक्षरता काळाची गरज	409
144.	डॉ. रमेश विठोबा कांबळे	पूँजी निर्माण में सहायक खुदरा बैंक	412
145.	डॉ. दत्ता शिवराम साकोळे	भुगतान बैंक	415
146.	डॉ. आर.बी. कल्याणकर	डिजिटल भूगतान के फायदे और नुकसान	418
147.	डॉ. एस. पी. तेरसे	डिजिटल व्यवहार के लाभ तथा हानी	422
148.	प्रा.डॉ. राजकुमार पंडितराव जाधव	व्यापारवाद, व्यापार के साधन, विज्ञापन और डिजिटलायझेशन	424
149.	Dr.J.B.Kangane	Digital Payment System Advantages & Difficulties	426
150.	Dr.Sudhirvaijanathrao Panchagalle, Dr. Ravindra Dadarao Gaikwad	Overview Of Cashless Indian Economy	428

ISSN 2349-638X
www.aiirjournal.com

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान बैंक

डॉ. दत्ता शिवराम साकोळे
प्रपाठक: हिन्दी विभाग
शिक्षण महर्षी ज्ञानदेव मोहेकर महाविदयालय कलम, ता. कलम जि. उस्मानाबाद–413507

वसंतराव काळे महाविदयालय में आयोजित "भारत में वित्तीय साक्षरता और डिजीटल पेमेंन्ट पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए प्रधानाचार्य डॉ फेरे जी तथा प्रा. मैदंजी ने फोन पर लेख भेजने को कहा, ऐसे में मैने सोचा क्यों न भूगतान बैंक पर कुछ सामग्री खोज कर आलेख लिखने का प्रयास किया हूँ।

व्यक्ति का नियामक आज धर्म और राजनीति नहीं, बल्कि बाजार हो गया है और बाजारवाद के इस दौर में प्रत्येक व्यावसायिक क्षेत्र में ग्राहक केंद्र में आ गया हैं, ग्राहक सेवा संस्थान भी इससे अछूते नही हैं। बैंक आज आपने उत्पाद ग्राहकों की ध्यान में रखते हुए तैयार कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा जा सके। जिस प्रकार हम अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम ग्राहक की भाषा की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम अपने उत्पादों की जानकारी ग्राहक की भाषा में नहीं देंगे, तो अपने उत्पादों को लाकप्रिय बनाने में पिछड़ जाएंगे। वैश्वीकरण के दौर में भारतीय बाजार भी विश्वव्यापी नीतियों को अपना रहे हैं। देश में प्रत्येक व्यापारिक संस्था अपना व्यवसाय भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए ही संचलित करती है। यहाँ तक कि ऐसी विदेशी कंपनियाँ, जो अपना कारोबार भारतीय जनमानस के साथ करना चाहती है, उन्हें अपना कारोबारा भारतीय भाषाओं में ही नही करना जरूरी हो गया है। यदि हम ग्राहक और भाषा की दृष्टि से बैंकिग उदयोग को ही लें और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को छोड़ भी दें, तो विदेशी बैंक यथा एचएसबीसी, सिटी बैंक, चार्टर्ड बैंक एवं बैंक यस बैंक भी अपने मध्यम श्रेणी के उत्पादों के लिए संप्रेषण की भाषा के रूप में हिंदी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बैंकों के एटीएम तथा केडिट कार्ड जैसी सेवाओं में भी अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं, विशेषत : हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है।

भारत का बैंकिंग क्षेत्र काफी विशाल और व्यापक है, इसमें वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, विकास बैंक तथा निर्यात आयात और आवासन जैसे क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष बैंक शामिल हैं। क्षेत्र विशेष तथा वर्ग विशेष की बैंकिंग संबंधी आवश्यकताओं की पुर्ति के लिए समय समय पर नए बैंको की अवधारणाएँ जन्म और आकार लेती रही हैं।नवीनतम कड़ी में मुद्रा बैंक तथा भुगतान बैंक का नाम लिया जा सकता है। भारतीय बैकिंग परिवार के ये नए सदस्य बैंक हैं। इस लेख में हम भुगतान बैक के संबंध में चर्चा करेंगे।

पृष्ठभूमि :

भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 सितंबर 2013 को नचिकेत मोर की अध्यक्षता में लघु व्यवसाय और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर समिति का गठन किया था। इस समिती ने 7 जनवरी 2014को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में अन्य सिफारिशों के साथ साथ यह सिफारिश्ज्ञ भी की गई थी लघु व्यवसाय और कम आय वाले परिवारों की भुगतान संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भुगतान बैंकों का गठन किया जाए। इस सिफारिश के कार्यान्वयन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 जुलाई 2014 को भुगतान बैंकों के लिए प्रारूप दिशा निर्देश जारी किए और जनता तथा इसमें रूचि रखने वाली संस्थाओं के सुझावों को ध्यान में रखते हुए 27 नवंबर 2014 को अंतिम दिशा निर्देश जारी किए।

भुगतान बैंक अवधरणा :

भुगतान बैंको की परिकल्पना ऐसे बैंको के रूप में की गई हैं, जो विशेष रूप से लघु व्यवसायियों, असंगठित क्षेत्रों, अल्प आय वाले परिवारो, किसानों और प्रवासी मजदूरों आदि की भुगतान संबंधी आवश्यकताओं को कम लागत पर और आसानी से पूरा कर सके।

उदाहरण के लिए आप अपने घरेलू नौकर को वेतन का भुगतान नकद में इसलिए करते हैं, क्योंकि उसका कोई बैंक खाता नहीं है। उसके जैसे व्यक्ति सामान्यतः अपने परिवार को अपने गाँव जाने वाले किसी पहचान वाले व्यक्ति के साथ या फिर मनीआर्डर से नकद राशि भेजते हैं। यह उल्लेखनीय है कि हमारे देश में 90 करोड़ लोग मोबाइल रखते हैं, जिनमें से 70 करोड़ लोग सकिय रूप से मोबाइल का उपयोग करते है। आपके घरेलू नौकर जैसे अधिकांश लोग इनमें शामिल हैं। भुगतान बैंक ऐसे ही लोगों को अपना ग्राहक बनाएंगे। मोबाइल के प्रयोग से कम लागत पर और तत्काल धन प्रेषण करने के लिए सुविधा प्रधान करने हेतु भुगतान बैंक काम करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान बैंकों के सृजन के उद्देश्य :

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार भुगतान बैंको की स्थापना का उद्देश्य अपने गांवों / कस्बों आदि से दूर रह कर अन्य स्थानों पर कार्य करने वाले लोगों, अल्प आय वाले परिवारों, लघु व्यवसायियों, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत संगठनों तथा अन्य उपयोगकर्ताओं को 1 लघु बचत खाता, तथा 2. भुगतान और प्रेषण सुविधाएँ उपलब्ध करा कर वित्तीय समावेशन को और व्यापकता प्रदान करना है। इसे देखते हुए भुगतान बैंक के सृजन के निम्नलिखित उद्देश्य रेखांकित किये जा सकते हैं।

- वित्तीय समावेशन–भुगतान बैंको के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना बैंक खाता खोल सकता है।
- शहरों में काम करने वाले लोग गांवों / कस्बों में रहने वाले अपने परिवारों को आसानी से, कम लागत पर और शीघ्रता से धन का अंतरण कर सकें।
- गांवों / कस्बों में रहने वालों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोडुना, ताकि वे उसके माध्यम से धन प्रेषण के अलावा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद भी कर सकें।
- अपने उक्त ग्राहकों की छोटी–छोटी राशियों के लिए नकदी यपर निर्भरता कम करना। इसके लिए मोबाइल वैलट का बैंक खाते के रूप में प्रयोग शुरू करना।
- ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाएँ परंपरागत शाखाओं के जरिये न पहुंचा कर मुख्यत : मोबाइल के माध्यम से पहुंचाना।

भुगतान बैंक और परंपरागत बैंक में अंतर :

- भुगतान बैंक प्रति ग्राहक अधिकतम एक लाख रूपये तक की ही जमा राशि स्वीकर कर सकते हैं, जबकि परंपरागत बैंक के मामले में सामान्यतः ऐसी कोई सीमा नहीं है।
- परपरागत बैंकों की तराह ये बचत बैंक खाते में जमा राशि पर ब्याज अदा कर सकते हैं तथा ग्राहकों का चालू खाता भी खोल सकते हैं।
- परंपरागत बैंक, ग्राहकों की जमाराशियों का उपयोग ऋणकर्ता ग्राहकों को ऋण देने के लिए करते हैंए लेकिन भुगतान बैंक लोगों को ऋण प्रदान नहीं कर सकते।
- चूंकि भुगतान बैंक ऋण प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए वे परंपराग बैंकों की तरह केडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। हाँ, वे एटीएम कार्ड तथा डेबीट कार्ड जारी कर सकते हैं।
- ग्राहकों व्दारा जमा कराई गई राशियों के निवेश के लिए परंपरागत बैंकों के पास कई विकल्प उपलब्ध होते हैं, लेकिन भुगतान बैंक इस प्रकार प्राप्त जमाराशियों का निवेश सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों में ही कर सकते है।
- परंपरागत बैकअनिवासी भारतीयों से जमाराशि स्वीकार कर सकते है, लेकिन भुगतान बैंग ऐसा नहीं कर सकते।
- भुगतान बैक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन किसी अन्य बैंक के बीसी मतलब बिजनेस करेस्पोडेंट के तौर पर काम कर सकते हैं।
- परंपरागत बैंकों की भांति भुगतान बैंक म्युचुअल फंड यूनिट तथा बीमा आदि जैसे गैर जोखिम सहभागिता वाले सरल उत्पादों का वितरण कर सकते हैं।

भुगतान बैंक–विशेताएँ :

- "पे–टीम" या "एम–पैसा" जैसे प्रीप्रेड भुगतान माध्यमों में ग्राहकों को बिना किसी ब्याज के उक्त कंपनियों के पास पहले से राशि जमा करके रखनी होती हैं, जिसमें से ग्राहकों की ओर से भुगतान किया जाता हैं। लेकिन, भुगतान बैंको के मामले में ग्राहकों की जमाराशि पर ब्याज अदा किया जाएगा, इसलिए यह भुगतान के लिए बेहतर विकल्प प्रस्तुत करेंगे।
- बैंको को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में भुगतान बैंक लगभग बिना किसी लागत के सीधे ही बैंक खातों में धन का अंतरण कर सकेंगे।
- भुगतान बैक यात्रियों को फॉरेक्स कार्ड जारी करा सकेंगे, जिनका उपयोग भारत भर में डेबिट या एटीएम कार्ड के तौर परा किया जा सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

- भुगतान बैंक अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा संबंधी सेवाएं बैंकों की तुलनाा में कम लागत पर उपलब्ध कर सकेंगे।
- भुगान बैंक "एप्पल पे" जैसे तीसरे पक्षों को कार्ड स्वीकृति मेकेनिज्म उपलब्ध करा सकते हैं।

भुगतान बैंक–गठन के लिए विनियामक शर्तें :
भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंको के गठन आदि के लिए विनियामक शर्तें और मानदंड तय किए हैं. इनमें से कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश निम्नानुसार है :
भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए पात्रता :
निम्नलिखित मे से कोई भी भुगतान बैंक स्थापित कर सकता हैं।

- प्रीपेड भुगतान लिखित जारी करने वाली विदयमान बैंकतर संस्थाएँ / व्यक्ति / व्यावसायिक लोक।
- गैर– बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ।
- कॉरपोरेट बिजनेस करेस्पोंडेंट।
- मोबाईल टेलिफोन कंपनियॉ।
- सुपर माकेर्ट श्रृंखलाएँ।
- निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली रियल सेक्टर सहकारी संस्थाएँ।
- सरकारी निकाय।

भुगतान बैंक की स्थापना के लिए प्रवर्तक / प्रवर्तकों का समुह किसी विदयमान अनुसूचित वाणिज्य बैंक के साथ संसयुक्त उपकम रख सकता है। लेकिन, भुगतान बैंक में किसी अनुसुचित वाणिज्य बैंक की शेयरधारिता बैंककारी विनियन अधिनियम 1989 के धारा 19 के अंतर्गत सीमा से अधिक नहीं हो सकती।

भुगतान बैंक के प्रवर्तन के लिए पात्रता हेतू प्रवर्तक / प्रवर्तक समुह को सुदृढ व्यवसाय चलाने का पिछला अच्छा अनुभव अथवा कम से काम पॉच वर्ष तक व्यवसाय चलाने का अनुभव होना अनिवार्य हैं।

पूंजी संबंधी अपेक्षाएँ :

- भुगतान बैंक के लिए न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी 100 करोड रूपये होगी।
- भुगतान बैंको का कारोबार शुरू होने के प्रथम पांच वर्ष में प्रवर्तकों को चुकता शेयर पूंजी में कम से कम 40 प्रतिशत का प्रारंभिक अंशदान करना होगा
- भुगतान बैंको की बाहय देयताएँ उनकी पूंजी और प्रारक्षित निधियों के 33.33 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए
- भुगतान बैंकों की विदेशी शेयर धारिता निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी निती के अनुसार होगी।

इस प्रकार विविध पत्रपत्रिकाओं में डिजिटल पेमेंन्ट पर सामाग्री जमा की और यह आलेख बनाने का प्रयास किया है।

संदर्भ ग्रंथ–

1. तथ्य भारती, जुलाई 2016, संपादक : दिनानाथ दुबे
2. दस्तावेज –डॉ. रमाकांत शर्मा
3. भाषा के प्रति लगाव –सुभाष अरोड़ा
4. वित्तीय सुधार कल और आज – डॉ. रघुराम जी. राजन

Scanned with OKEN Scanner